



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092024-257061
CG-DL-E-10092024-257061

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3545]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 10, 2024/भाद्र 19, 1946

No. 3545]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2024/BHADRA 19, 1946

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2024

का.आ. 3877(अ).—केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, निम्नलिखित व्यक्ति के नामांकन को, इस अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है:

क्र.सं.	नाम और पदनाम	अधिनियम की धारा
1.	डॉ. शामला इकबाल, सचिव, बागवानी और रेशम उत्पादन विभाग, कर्नाटक सरकार	अधिनियम की धारा 4(3)(घ) के तहत कर्नाटक सरकार की अनुशंसा पर नामित
2.	श्री एम. बी. राजेश गौडा, आई.ए.एस., आयुक्त, रेशम उत्पादन विकास एवं निदेशक रेशम उत्पादन कार्यालय, कर्नाटक सरकार	

[फा. सं. 25011/17/2019-रेशम]

प्राजक्ता एल. वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th September, 2024

S.O. 3877(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby notifies the nomination of following person to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification subject to the provisions of the Act:

S.No.	Name and designation	Section of the Act
1.	Dr. Shamla Iqbal, The Secretary to Government, Department of Horticulture and Sericulture, Govt. of Karnataka.	Nominated on the recommendation of Govt. of Karnataka under Section 4(3) (d) of the Act.
2.	Shri M. B. Rajesh Gowda, I.A.S., The Commissioner for Sericultural Development and Director of Sericulture Office, Govt. of Karnataka.	

[F. No. 25011/17/2019-Silk]
PRAJAKTA L. VERMA, Jt. Secy.